प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 08.03.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सरजीत पुत्र रामें निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा

2-है0का0 14 प्रशान्त तालान थाना खेकडा

3-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकडा

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 08.03.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 59/2024 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक GEM ट्यूबलर बैट्री बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी वैभव जैन पुत्र वीरेन्द्र जैन निवासी सुन्दर मार्केट मैन बाजार, कस्बा व थाना खेकड़ा ने लिखित तहरीर दी कि वादी की फैक्ट्री बाहुबली उद्योग, पाठशाला रोड़ पर विवटेक्स ओवरसीज के सामने है, वादी की फैक्ट्री में लगे जेनरेटर से एक GEM टयूबलर बैट्री को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 59/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 59/2024 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक GEM टयूबलर बैट्री बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नफीस पुत्र अजमुद्दीन निवासी काशीराम कॉलोनी नानू रोड कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-अरशद पुत्र मुस्ताक निवासी गढ़ी मौहल्ला पट्टी मुण्डाला क़स्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक GEM ट्यूबलर बैट्री ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अमरदीप सिंह थाना खेकडा ।

2- का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा ।

3-का0 330 हरेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 08.03.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 77/24 धारा 504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

दिनाँक 7.3.2024 को वादी आकाश कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हजूराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर के घर पर आकर अभियुक्त आदिल पुत्र इस्तकार निवासी ग्राम पांचली थाना सरूरपुर जनपद मेरठ द्वारा गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी तथा तमंचा दिखाते हुए घर की छत से कूद गया, वादी व जनता द्वारा अभियुक्त आदिल को मय तमंचे के पकड़कर थाने लाया गया । थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त आदिल को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 77/24 धारा 504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आदिल पुत्र इस्तकार निवासी ग्राम पांचली थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 200 अनुराग रौसा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-हो0गा0 777 गजेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।